सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 320 राँची, शनिवार, 30 वैशाख, 1938 (श०)
20 मई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 फरवरी, 2017

कृपया पढ़े:-

1. जिला पदाधिकारी, गया का पत्रांक-4862, दिनांक 10 अगस्त, 2007
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-7597, दिनांक 23 नवम्बर, 2007
3. संकल्प संख्या-1234, दिनांक 7 फरवरी, 2013
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी ने पत्रांक-104, दिनांक 13 मार्च, 2015
5. पत्रांक-6531, दिनांक 23 जुलाई, 2015, पत्रांक-6316, दिनांक 22 जुलाई, 2016 एवं पत्रांक-8193, दिनांक 21 सितम्बर, 2016
6. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक-240, दिनांक 25 जनवरी, 2017

संख्या-5/आरोप-1-641/2014 का.-1491-- श्री सुधीर कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-224/03) तदेन अंचल अधिकारी, कोच एवं टिकारी, गया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-4862, दिनांक 10 अगस्त, 2007 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. आप गया जिला अंतर्गत कोंच एवं टिकारी अंचल अधिकारी पद पर दिनांक 9 दिसम्बर, 1994 को योगदान दिया था । अपने कार्यों के अतिरिक्त आपको प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कोंच गया का अतिरिक्त कार्य करने का आदेश दिया गया था ।

2. जब आप प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कोंच के पद पर कार्यरत थे, तो उक्त अवधि का रोकड़ बही आपके द्वारा जाँच कर हस्ताक्षर नहीं किया गया था । रोकड़ बही में गड़बड़ी रहने के कारण विशेष अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण करने में दिक्कत हो रहा था ।

3. अंकेक्षण दल भी आपको बुलाने हेतु बार-बार पत्राचार कर रहे थे, परन्तु उपस्थित होकर रोकड़ बही पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे थे । इसी प्रकार अंचल कोंच का भी रोकड़ बही का भी रोकड़ पंजी आपके द्वारा जाँच नहीं किया गया था ।

4. रोकड़ बही का अद्यतन नहीं रहने के कारण कोंच अंचल तथा प्रखण्ड का प्रभार नये पदाधिकारी को नहीं सौंपा गया ।

5. जब आप प्रखण्ड के प्रभार में थे उक्त कार्यालय में 14 लाख रूपये का चेक जल धारा योजना के अंतर्गत बिना आदेश के ही एक ही चेक से भुगतान कर दिया गया था, जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं किया गया था । उक्त चेक बुक भारतीय स्टेट बैंक का है, जो आपने नहीं लौटाया है । संबंधित संचिका भी आप अपने पास रखे हुए थे ।

6. जीप नं० बी०एच०बी० 1900 का लौग बुक भी आप अपने पास रखे हुए है, उसे कार्यालय को वापस नहीं किया गया है । ज्ञातव्य है कि कोंच प्रखण्ड में दैनिक पारिश्रमिक मजदूरी पर चालक प्रतिनियुक्त था । फलस्वरूप लौग बुक आप स्वयं रखते थे ।

7. प्रखण्ड के नाजिर दिनांक 31 जुलाई, 1997 को सेवानिवृत्त हो चुके है । आप बिना नाजिर के ही दिनांक 11 अगस्त, 1997 से 14 अगस्त, 1997 तक का कैश बुक का संधारण स्वयं ही किया है ।

8. आप दिनांक 1 अगस्त, 1997 को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे । गया जिला अंतर्गत दिनांक 5 अगस्त, 1997 को अप्रत्यामित अति वृष्टि एवं बाढ़ के कारण सामान्य जन जीवन

पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गया था । इस प्राकृतिक आपदा के तहत् कोंच प्रखण्ड अति गंभीर रूप से अति वृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र था । जिला प्रशासन द्वारा इस अवसर पर प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिये युद्ध स्तर पर पीड़ित परिवारों को समुचित राहत सामग्री कोंच प्रखण्ड में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी, किन्तु इस विकट परिस्थिति में आप अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे ।

9. कोंच अंचल कार्यालय के दस कर्मियों का परिवाद पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें आपके विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि कोंच अंचल के अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों से तानाशाही, अश्लीलता, दुव्र्यवहार, जातिपात का भेद भाव एवं अपशब्दों का प्रयोग किये जाने के साथ ही साथ दाखिल खारिज उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र एवं भूमि प्रमाण पत्र आदि में रिश्वत के रूप में मोटी रकम लेने की बात कही गई है ।

10. दिनांक 26 जुलाई, 1997 को कार्यालय अधीक्षक, समाहरणालय गया द्वारा कोंच प्रखण्ड लेखा निरीक्षण में बहुतायत त्रुटियाँ पाई गई है एवं रोकड़ पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किये जाने को प्रतिवेदित किया गया है ।

11. प्रखण्ड में उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं छात्रावृति की राशि को मनमाने ढंग से इंदिरा आवास योजना में अपने स्वेच्छा से खर्च की गई ।

12. योजना अभिलेख एवं अभिश्रव भी स्वयं तैयार किये थे, जिस पर योजना लिपिक एवं प्रधान सहायक का हस्ताक्षर अप्राप्त है । प्रखण्ड में कार्यरत रहने के फलस्वरूप आप अपना मुख्यालय गया में रखे हुए थे, जिसके कारण बाढ़ के समय राहत कार्य बाधित हुआ और जनहित में समान कामकाज तथा अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के बीच राहत वितरण एवं अनुश्रवण कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, जिसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है ।

13. कार्य के प्रति घोर लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप आपका प्रभार श्री हाशीम खान, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, परैया को सौंपा गया था, जो दिनांक 14 अगस्त, 1997 को बी०डी०ओ०, कोंच के रूप में स्वतः प्रभार ग्रहण कर लिया परन्तु आप दिनांक 1 अगस्त, 1997 से 4 सितम्बर, 1997 तक लगातार बिना सूचना के मुख्यालय से गायब थे, जिसके कारण कैश का प्रभार श्री हाशिम को नहीं सौंपा गया । जबकि दिनांक 4 सितम्बर, 1997 को अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी ने कोंच प्रखण्ड गये तो वहाँ पाया कि कैश बुक तैयार नहीं है जबकि संबंधित नाजिर दिनांक 31 जुलाई, 1997 को सेवानिवृत्त हो चुके है । नाजिर को बुलाकर इस बिन्दु पर वर्त्ता की गई तो बताया गया कि अनेकों मामले में लाखोलाख रूपये विभिन्न व्यक्तियों को अनियमित ढंग से अग्रिम दी गयी है, जिसके कारण कैशबुक स्वयं रखे हुए है ।

14. जब आप टिकारी अंचल में अंचल अधिकारी, टिकारी के रूप में पदस्थापित थे तो बेल्हड़िया सब्जी मंडी का बन्दोबस्ती अवैध राशि लेकर किये जाने की सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप इसकी जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी द्वारा कराई गई । प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि बन्दोबस्ती अभिलेख की खोजबीन जाँच के दौरान कार्यालय में की गई तो संबंधित प्रभारी सहायक श्री अर्जुन प्रसाद द्वारा लिखित रूप से दिया गया कि अभिलेख तत्कालिक अंचल अधिकारी, टिकारी श्री सुधीर कुमार तिवारी साथ लेकर चले गये है । जाँच के दौरान यह भी बताया गया कि सब्जी मंडी का बन्दोबस्ती चुपके से अवैध राशि वसूल कर अनियमित ढंग से उतनी बड़ी मंडी का बन्दोबस्ती मात्र 1225 रूपये में कर दी गई है, जिससे आम जनता में काफी आक्रोश था । जबकि इसकी बन्दोबस्ती किये जाने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी ने अपने पत्रांक-299, दिनांक 15 अप्रैल, 1997 द्वारा निदेश दिया गया था कि उक्त सब्जी मंडी का बन्दोबस्ती आम इस्तेहार निकलवाकर कराया जाय, जिसका अनुपालन न करते हुए मनमाने तरीके से बन्दोबस्ती की गई, जिसके कारण सरकारी राजस्व की काफी क्षति हुई है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-7597, दिनांक 23 नवम्बर, 2007 द्वारा श्री तिवारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं इसके लिए स्मारित किया गया, परन्तु इनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा । अंततः समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-1234, दिनांक 7 फरवरी, 2013 द्वारा इनके विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृति भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी ने पत्रांक-104, दिनांक 13 मार्च, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही समाप्त कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया है।

प्रमाणित आरोपों हेतु श्री तिवारी के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अधीन "पेंशन से 10% पूर्णकालिक कटौती" का दण्ड प्रस्तावित किया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-6531, दिनांक 23 जुलाई, 2015, स्मार-पत्र सं०-4386, दिनांक 25 मई, 2016 एवं पत्रांक-6316, दिनांक 22 जुलाई, 2016 द्वारा श्री तिवारी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, परंतु इनका जवाब पुनः अप्राप्त रहा ।

अतः आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत, विभागीय पत्रांक-6316, दिनांक 22 जुलाई, 2016 में दिये गये शर्तों के आधार पर एक पक्षीय निर्णय लेते हुए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत श्री तिवारी

पर निर्धारित दण्ड "पेंशन से 10% पूर्णकालिक कटौती" अधिरोपित करने हेतु विभागीय पत्रांक-8193, दिनांक 21 सितम्बर, 2016 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई, जिस पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-240, दिनांक 25 जनवरी, 2017 द्वारा सहमति प्रदान की गयी ।

अतः श्री तिवारी के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् "पेंशन से 10% पूर्णकालिक कटौती" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 320--50